रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012022-232716 CG-DL-E-18012022-232716

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] No. 25] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 25(अ).—केंद्रीय सरकार वित्त विधेयक (संख्या 2), अधिनियम 2004, (2004 का 23) की धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति लेनदेन कर नियम, 2004 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिभृति लेनदेन कर (पहला संशोधन), नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. प्रतिभूति लेनदेन कर नियम, 2004 (जिसे इसमें इसके बाद मूल नियम कहा जाएगा) में नियम 5 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातु: -
- "5क. बीमा कंपनी के मामले में प्रतिभूति लेनदेन कर के संग्रहण और भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति.- बीमा कंपनी के मामले में, अधिनियम की धारा 100 की उपधारा (2) (3) और (4) के अनुसार प्रतिभूति लेनदेन कर के संग्रह और भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, इस संबंध में ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत (कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (54) और (94) में यथा परिभाषित, प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक होंगे।
- 3. मूल नियमों में, नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

380 GI/2022 (1)

- "6. प्रतिभूति लेनदेन कर का भुगतान.- प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, या प्रत्येक म्यूचुअल फंड के न्यासी या म्यूचुअल फंड के मामलों का प्रबंधन करने वाला ऐसा अन्य व्यक्ति जो इस संबंध में न्यासी द्वारा विधिवत अधिकृत हो, या प्रबंध निदेशक या एक पूर्णकालिक निदेशक, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (54) और (94) में परिभाषित किया गया है, जो एक बीमा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत प्राधिकृत है, अधिनियम की धारा 100 के अधीन जिसे एकत्र और प्रतिभूति लेनदेन कर का भुगतान करना आवश्यक है करें, इस तरह के कर की राशि को केंद्रीय सरकार के प्रत्यय को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी अधिकृत बैंक की किसी भी शाखा में भेजकर भुगतान करेगा।"।
- 4. मूल नियम के नियम 7 में,-
- (i) उप-नियम (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -
 - "(ग) बीमा कंपनी के मामले में, प्ररूप सं. 2क में और उसमें बताए गए तरीके से सत्यापित होगा।";
- (ii) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-
 - "(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सं. 1, प्ररूप सं. 2 और प्ररूप सं. 2क में विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल हस्ताक्षर अथवा इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए "इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड" का अर्थ है, आय की विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के प्रयोजन से उत्पन्न कोड, जो कि आयकर के प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा निर्दिष्ट डाटा संरचना और मानकों के अनुसार है।

- (2क) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) आंकडों के सुरक्षित एकत्रित और स्थानांतरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूप विधानों और मानकों को निर्दिष्ट करेंगे और विकसित करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे और प्ररूप सं. 1, प्ररूप सं. 2 और प्ररूप सं. 2क के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के संबंध में उपयुक्त सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को लागू करना।";
- (iii) उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(3क) एक बीमा कंपनी के मामले में, उप-नियम (1) में संदर्भित विवरणी प्रबंध निदेशक या एक पूर्णकालिक निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि इस संबंध में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सम्यक् प्राधिकृत ,कंपनी अधिनियम, 2013(2013 का 18) की धारा 2 के खंड (54) और (94) में परिभाषित किया गया है।"।
- 5. मूल नियमों में, नियम 8 में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
 - "(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (54) और (94) में यथा परिभाषित प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक द्वारा सम्यक् प्राधिकृत बीमा कंपनी के मामले में इस संबंध में ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल।"।
- 6. मूल नियमों के परिशिष्ट में प्ररूप संख्या 2 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप सं. 2क [प्रतिभूति लेनदेन कर नियम, 2004 का नियम 7 देखें] बीमा कंपनी के लिए कर योग्य प्रतिभूतियों के लेनदेन की विवरणी

क्रम सं.		
1.	बीमा कंपनी का नाम:	
2.	कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकरण/निगमन की तारीख	ति थि मा ह व र्ष
3.	स्थायी खाता संख्या (पैन)	
4.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए संव्यवहार की सूचना दी जा रही है	

5.	क्षेत्राधि	धेकार निध																
6.	इक्विर्ट	ो उन्मुख ि	नेधि की स															
7.	कर य	ाग्य प्रतिभृ																
8.	कुल सं	ांग्रहणीय :																
9.	एकत्रि	त कुल प्रा	तेभूति संव															
10.	भुगता	न किया ग	ाया कुल प्र															
11.	देय/व	ापसी योग	य प्रतिभूति	ो संव्यवहार क	जर -													
12.	धारा	104 के अ	धीन देय व	ज्या ज														
13.	भुगता	न किया ग	ाया ब्याज															
14.	फरवरी, 2021 के पहले दिन या उसके पश्चात् बीमा कंपनी द्वारा जारी यूनिट बीमा पॉलिसियों के संबंध में उन्मुख निधि उन्मुख निधि का विवरण																	
	क्रम सं.	इक्किटी उन्मुख निधि का नाम	निधि का विशिष्ट मुवक्किल कोड	जिससे इकाईयों को खरीदा है	का नाम जिससे इकाईयों को खरी है।	ं : इ दा व है	उस व्यक्ति का पैन जिससे इकाईयों को खरीदा है।		कर योग्य प्रतिभूतियो संव्यवहार का मूल्य		तेयों के ग़र संव्यवहार		ч य	प्रतिभूति के संव्यवहार संग्रहण कर (रुपये में)				
	1	2	3	4	5	6			7 8 9									
15.	स्तंभ	4 में उलि	लखित वि	तीय वर्ष के लि	नेए कर योग्य	प्रतिभू	ते संव्यव	प्रह <u>ा</u> र	कर	काम	ाहवा•	र विद	रण					
	क्रम सं	माह	इक्किटी उन्मुख निधि का नाम	निधि का विशिष्ट मुवक्किल कोड	कर योग्य प्रतिभूति यों के सव्यवहार (रू. में)	प्रतिभूति यों के कर यों के संग्रहणीय सव्यवहार संव्यवहार		प्रतिश् यों के एकत्र संव्यक् संग्रह कर (में)	त वहार ण	यों के ^र भुगता हार संव्यवः (रू. में		कर 104 न अर्ध हार देय		ारा 04 के ग्धीन य ब्याज		धारा 104 के अधीन भुगतान किया गया ब्याज		
	1	2	3	4	5	6		7		8	8		9		10		0	
		कुल																
16.		`	<u> </u>	_] गतान किए ग	1		1			<u> </u>				I			- 1	
	कर/	ब्याज (रुष में)	रये बैंव	तशाखा का नाम		बैंक शाखा का बीएसआर कोड			ने की ब		चालान रा की क्रम संख			राशि (रुपये में)				
		11	12 13					14	4 15 16					6				

सत्यापन

मैं, (पूरा नाम स्पष्ट शब्दों में), का पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि मेरी जानकारी	और
विश्वास के अनुसार इस विवरणी में दी गई सूचना सही और पूर्ण है और कर योग्य प्रतिभूतियों के संव्यवहार का कुल	मूल्य
और उसमें दिखाए गए अन्य विवरण सही मायने में बताए गए हैं और वित्त विधेयक, 2004(संख्या 2) के अध्याय 7	और
प्रतिभूति संव्यवहार कर के उपबंधों के नियम, 2004 अनुसार हैं।.	

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मैं यह विवरणी के रूप में अपनी हैसियत से कर रहा/रही हूं और मैं इस विवरणी को बनाने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं।

तारीख:	
स्थान	

(नाम और हस्ताक्षर)

टिप्पण:-

- 1. इस प्ररूप का उपयोग केवल एक बीमा कंपनी द्वारा किया जाना चाहिए
- 2. पंक्ति 14 में अपेक्षित विवरण बीमा कंपनी द्वारा स्थापित प्रत्येक इक्विटी उन्मुख निधि के लिए अलग से दिया जाए और प्रत्येक निधि का उपयोग भी दिया जाए।
- 3. पंक्ति संख्या 15 में अपेक्षित विवरण बीमा कंपनी द्वारा स्थापित प्रत्येक इक्विटी उन्मुख निधि के लिए प्रत्येक माह के लिए अलग से दिया जाए और प्रत्येक माह के लिए उपयोग भी दिया जाए।

[अधिसूचना संख्या 9/2022/फा. सं. 370142/61/2021-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1059(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2004 में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2022

- **G.S.R. 25(E).** In exercise of the powers conferred section 114 of the Finance (No. 2) Act, 2004, (23 of 2004), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Securities Transaction Tax Rules, 2004, namely:—
- **1. Short title and commencement. -**_(1) These rules may be called the Securities Transaction Tax (1st Amendment), Rules, 2022.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- **2**. In the Securities Transaction Tax Rules, 2004 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 5, the following rule shall be inserted, namely:—
- "5A.Person responsible for collection and payment of securities transaction tax in case of Insurance Company.- In the case of an insurance company, the person responsible for collection and payment of securities transaction tax in accordance with sub-sections (2), (3) and (4) of section 100 of the Act, shall be the managing director or a whole-time director, as defined in clauses (54) and (94) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), duly authorised by the Board of Directors of such company in this behalf."

- 3. In the principal rules, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely: -
- "6. Payment of securities transaction tax.- Every recognised stock exchange, or the trustee of every Mutual Fund or such other person managing the affairs of the mutual fund as may be duly authorised by the trustee in this behalf, or the managing director or a whole-time director, as defined in clauses (54) and (94) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), duly authorised by the Board of Directors of an insurance company, who is required to collect and pay securities transaction tax under section 100 of the Act, shall pay the amount of such tax to the credit of the Central Government by remitting it into any branch of the Reserve Bank of India or of the State Bank of India or of any authorised bank accompanied by a securities transaction tax challan."
- **4.** In the principal rules, in rule 7,
 - (i) in sub-rule (1), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(c) in the case of an insurance company, be in Form No. 2A and be verified in the manner indicated therein.":
 - (ii) for sub-rule (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:—
 - "(2) The return in Form No. 1, Form No. 2 and Form No. 2A referred to in sub-rule (1) shall be furnished electronically either under digital signature or electronic verification code.
 - Explanation.—For the purposes of this sub-rule "electronic verification code" means a code generated for the purpose of electronic verification of the person furnishing the return of income as per the data structure and standards specified by Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems).
 - (2A) The Principal Director-General of Income-tax (Systems) or Director-General of Income-tax (Systems) shall specify the procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to furnishing the returns in Form No. 1, Form No. 2 and Form No. 2A.";
 - (iii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
 - "(3A) In case of an insurance company, the return referred to in sub-rule (1) shall be furnished by the managing director or a whole-time director, as defined in clauses (54) and (94) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), duly authorised by the Board of Directors of such company in this behalf."
- 5. In the principal rules, in rule 8, after clause (b) the following clause shall be inserted, namely:—
- "(c) in the case of an insurance company by the managing director or a whole-time director as defined in clauses (54) and (94) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) a duly authorised by the Board of Directors of such company in this behalf."
- 6. In the principal rules, in the APPENDIX, after Form No. 2, the following Form shall be inserted, namely: —

"FORM NO. 2A

[See rule 7 of Securities Transaction Tax Rules, 2004]

Return of Taxable Securities Transactions for Insurance Company

S.No										
1.	Name of the Insurance Company:									
2.	Date of Registration/Incorporation under the									
	Companies Act, 2013	d	d	m	m	V	v	v	v	
					1	1 /				
		I								

3.	Permanent Account Number (PAN)														
4.	Financial Year for which transaction is being reported														
5.	Jurisdi	ctional A	ssessing C	Officer											
6.	Numbe														
7.	Value	of taxable	e securitie	s transac	tion										
8.	Total s														
9.	Total s								<u>-</u> 7						
10.	Total s	ecurities	transactio	n tax pai	d]
11.	Securities transaction tax payable/refundable														<u> </u>
12.	Interest payable under section 104														
13.	Interest paid														<u>-</u>
14.			y Oriented any on or			-					ice P	olicies issu	ied by th	e	
	of Client number person person from oriented of the from whom whom fund fund whom units units				whom	on taxable transaction transaction tax tax transaction (in Rs.)									
	1	2	3	4		5		6		7		8	9		
15.	Month	wise det	ails of tax	able secu	uriti	es transac	ctio	n tax fo	or th	ne FY m	entio	ned in col	umn 4		
	S.No	Month	Name of equity oriented fund	Unique Client Code of the fund	ta: se tra	alue of xable curities ansaction i Rs.)	tra ta: Co	ecurities ansaction x ollectible n Rs.)	n transaction tax				Interest payable under section 104		er tion
	1	2	3	4	5		6			7	8		9	10	
16.	Details	Total of securi	ities trans	action tax	k/in	terest pa	id								
		nterest (In Rs.)	Name bank t	of the branch		BSR code of bank brai			of c	leposit		rial No. of Challan	Am	ount (I Rs.)	In
		11	1	2		13			14	ļ		15		16	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7

VERIFICATION

I, (full name in block letters), son/ daughter of solemnly declare knowledge and belief the information given in this return is correct and complete and taxable securities transactions and other particulars shown therein are truly stated with provisions of Chapter VII of the Finance (No.2) Act, 2004 and the Securities 2004.	d that the total value of and are in accordance
I further declare that I am making this return in my capacity as and I am also creturn and verify it.	competent to make this
Date:	
Place	
	(Name and Signature)

NOTES:-

- 1. This Form must be used by a Insurance Company Only
- 2. Details required in Row 14 may be given separately for each equity oriented fund set up by the insurance company and sub-total of each fund be also given.
- 3. Details required in Row No. 15 may be given separately for each month for each equity oriented fund set up by insurance company and sub-total for each month be also given.".

[Notification No. 9/2022/F. No. 370142/61/2021-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Subsection (ii) *vide* notification number S.O. 1059(E), dated the 28th September, 2004.